35

आवश्यक / समयबद्ध / अनुस्मारक

पत्रांक–स0नि0–सामान्य बजट / आय–व्ययक 2021–22 / 2020–21 / 378 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सम्पत्ति अनुभाग) लखनऊ:: दिनांक::नवम्बर 05 ,2020

विषयः–आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 का आय–व्ययक अनुमान के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक–स0नि0–सामान्य बजट / आय–व्ययक 2021–22 / 2020–21 / 320 / वाणिज्य कर दिनांक 01.10.2020 व पत्र संख्या–340 दिनांक 12.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार **आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22** का आय–व्ययक अनुमान तैयार कराकर शासन को शीघ्र प्रेषित किये जाने हेतु **अनुदान संख्या–89** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक / मदों के अन्तर्गत वांछित धनराशि का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान तैयार कर संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु अभी तक औचित्यपूर्ण अनुमान उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में आय–व्ययक प्रस्ताव हेतु अभी तक ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर के स्तर से बुलन्दशहर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ जनपदों के प्रस्ताव आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सीधे प्रेषित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आय–व्ययक अनुमान कार्य की प्रकृति का उल्लेख करते हुए मुख्यालय द्वारा उल्लिखित लेखाशीर्षकों में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त प्रस्ताव सरसरी तौर पर बनाये गये हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होते हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय भवनों हेतु उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य हेतु कोई अनुमान (धनराशि का उल्लेख) आपके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा और न ही आपके स्तर से किया गया है जबकि उपर्युक्त कार्य अपरिहार्यता की श्रेणी का है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयोगार्थ एवं वाणिज्य कर कार्यालय भवन निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि पर निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण अनुमान अनुदान संख्या–89 के अन्तर्गत मुख्यालय के पत्र संख्या–320 दिनांक 01.10.2020 में उल्लिखित लेखाशीर्षक / मदों के अन्तर्गत वांछित धनराशि(रूपया लाख में) का **पूर्ण औचित्य सहित अनुमान / कराये जाने वाले कार्यों का विवरण सहित(प्रस्ताव) तैयार कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 09.11.2020 को अपराह्न 12.00 बजे तक प्रत्येक दशा में ई–मेल ctconshqlu-up@nic.in पर बिना अनुस्मारक की प्रतीक्षा किये** मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर को निर्देशित कर दें तथा स्वयं भी अनुश्रवण करते रहे कि आपके

–2

A2nd
Pedri
5/11/20
2057

अधीनस्थ सभी कार्यालयों के प्रस्ताव उपरोक्त निर्धारित अवधि में मुख्यालय उपलब्ध करा दिये गये है। यदि निर्धारित समय पर प्रस्ताव आपके जोन से प्राप्त नहीं होता है, तो शासन को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित समयावधि के उपरांत बजट की मांग की जाएगी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दि0 उक्त।
प्रतिलिपि :

1— ज्वाइंट कमिश्नर (स्था0अराज0/प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वाहन पटल, आवास नाजिर, मुख्यालय नाजिर को समयान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दें।

2— ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।